CHALO VOTE!

वोटर्स गाइड

→ पेनसिल्वेनिया

2016 के राष्ट्रपति चुनाव का फैसला पेनसिल्वेनिया के 44,292 वोटों के द्वारा हुआ था। पेनसिल्वेनिया में 145,000 पात्र दक्षिण एशियाई मतदाता (वोटर्स) हैं। हमारी आवाज़ इस देश का भविष्य तय कर सकती है। हमारी आवाज़ को सुने जाने से हमारे मूल्य और मान्यताओं का सम्मान किया जाएगा। प्रक्रिया और आपके अधिकारों की जानकारी में कमी या अविश्वास से आपकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए।

प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है और इस देश का भविष्य और आनेवाली पीढ़ियों के लिए जिस देश को हम छोड़ जाएंगे उसे संवारने में मदद करता है।

इस गाइड में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं -

- ★ वोटर रजिस्ट्रेशन (मतदाता पँजीकरण)
- ★ वोट डालने की योजना तैयार करना
- ★ वोट देना / मतदान करना
- ★ डाक द्वारा वोट देना
- ★ व्यक्तिगत तौर पर जाकर वोट देना
- ★ बार बार पूछे जाने वाले सवाल
- ★ अधिकृत पीए सहायक लिंक्स

यह गाइड वोटिंग (मतदान) की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद के लिए और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान पूछे जाने वाले सामान्य सवालों के जवाब के लिए एक रेफरेंस टूल की तरह कार्य करती है। इस साल होने वाली वोटिंग की दिशा में पहला कदम बढ़ाने के लिए अभी chalo.vote इस वेबसाइट पर जाएँ और आपके वोटर रजिस्ट्रेशन (पँजीकरण) स्थिति की जाँच करें। हमें वोटिंग प्रक्रिया के बारे में आपका मार्गदर्शन करने दें और आपके लिए ज़रुरी टूल्स (साधन) प्रदान करने दें ताकि आप आत्मविश्वास से और सार्थक तरीके से वोट दे सकें।

इसी वक्त पहला कदम उठाएँ और CHALO.VOTE पर जाएँ →

महत्वपूर्ण तारीखें –

मतदाता पँजीकरण (वोटर रजिस्ट्रेशन) अंतिम तारीख:
19 अक्तूबर, 2020 डाक

द्वारा मतदान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख:
27 अक्तूबर, 2020 चुनाव

दिवस और डाक द्वारा मतदान करने के लिए अंतिम तारीख:
3 नवंबर, 2020 (सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक)

कदम 1
वोटर रजिस्ट्रेशन / मतदाता पँजीकरण

वोटिंग करने के लिए पहला कदम है राज्य के साथ वोट करने के लिए पँजीकरण करना।पेनसिल्वेनिया में वोट देने हेतु पँजीकरण की पात्रता के लिए आपको 3 मानदंडों को पूरा करना ज़रुरी है।

- आपको कम से कम 30 दिनों के लिए अमेरिका का एक नागरिक होना चाहिए
- आपको कम से कम 30 दिनों के लिए पेनसिल्वेनिया का एक निवासी होना
- चाहिए चुनाव के दिन या उससे पहले आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए

वोटर रजिस्ट्रेशन / मतदाता पँजीकरण

यदि आप इन मानदंडों को पूरा करते हैं तो चलो [वोट रजिस्ट्रेशन टूल का] इस्तेमाल करते हुए जाँच करें कि क्या आपके वर्तमान पते पर वोट करने के लिए आप पँजीकृत हैं। यदि आपको पता भी हो कि आप पँजीकृत हैं, तो भी हम आपसे सिफारिश करते हैं कि आप आपका पँजीकरण जाँच लें कि कहीं कोई जानकारी बदली गई है या नहीं।

पर आपकी जानकारी प्रविष्ट करें:
chalo.vote/registration

यदि आप पँजीकृत हैं तो आपको आगामी चुनाव के लिए डाक के ज़रिए वोटिग के लिए आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

ज़्यादा जानकारी के लिए वोट बाय मेल यानि डाक द्वारा मतदान वाले सेक्शन को देखें।

यदि आप पँजीकृत नहीं है, तो आपको आपका राज्य प्रविष्ट करने के लिए कहा जाएगा और एक लिक दी जाएगी जो आपको नीचे दर्शाए गए अनुसार पेनसिल्वेनिया के लिए ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए निर्देशित करेगी। बार बार पूछे जाने वाले सवाल में या पेनसिल्वेनिया के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए विशिष्ट गाइड में आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं।

फॉर्म पर प्रक्रिया के लिए कुछ दिन लगेंगे और निम्नलिखित वेबसाइट पर फॉर्म भरने के बाद आपको प्राप्त हुए आवेदन क्रमांक का इस्तेमाल कर फॉर्म की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। –

https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterApplicationStatus.aspx

कदम 2
वोटिंग करने के लिए एक योजना

वोटिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह जानना कि आपका चुनाव कब है और उसमें मतदान करने के लिए एक योजना तैयार करना।

चुनाव की तारीख के लिए जब आप **chalo.vote** पर आपके रजिस्ट्रेशन की जाँच करेंगे, तब आप याद दिलाने के लिए साइन अप कर सकते हैं या आप पेनसिल्वेनिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर चुनाव कैलेंडर देख सकते हैं -

https://www.votespa.com/About-Elections/Pages/Upcoming-Elections.aspx

यहाँ पर आप प्रत्येक चुनाव में पेनसिल्वेनिया द्वारा उपलब्ध कराए गए दो अलग विकल्पों का इस्तेमाल कर वोटिंग करने की योजना बना सकते हैं।

डाक द्वारा मतदान के लिए पँजीकरण

सभी मतदाताओं (वोटर्स) के लिए डाक द्वारा मतदान का एक विकल्प उपलब्ध है जिसमें कोई भी मतदाता (वोटर) एक मतपत्र (बैलट) उनके घरों में भेजने के लिए अनुरोध कर सकता है ताकि वे उसे भरकर काउंटी चुनाव कार्यालय डाक से भेज सकें या डिलीवर कर सकें।

कोई भी मतदाता डाक से मतदान के लिए अनुरोध कर सकता है और डाक के ज़रिए मतपत्र के अनुरोध के लिए उसे कारण बताने की ज़रुरत नहीं है!

- ★ आपके पहचान की पुष्टि के लिए आपके ड्रायविंग लायसेंस नंबर या आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर के आखरी 4 क्रमांक का इस्तेमाल कर मतपत्र (बैलट) के लिए ऑनलाइन अनुरोध करें।
- ★ एकबार मतपत्र के लिए अनुरोध करने के बाद प्रक्रिया की स्थिति के बारे में ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है और चुनाव के 50 दिनों पहले मतपत्र डाक से भेजना शुरु हो जाएगा।
- ★ मतपत्र प्राप्त हो जाने के बाद आपको इसे भरकर काउंटी चुनाव कार्यालय वापिस भेजना होगा, न कि आपके मतदान की जगह, ताकि यह चुनाव के दिन तक पहुँच सके।

चुनाव दिवस से पहले मंगलवार तक (चुनाव के 7 दिन पहले) डाक द्वारा मतदान के लिए अनुरोध किया जा सकता है। डाक द्वारा मतदान के लिए अनुरोध करने से आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं होते हैं। यदि आप फिर भी व्यक्तिगत तौर पर वोट डालना चाहते हैं तो आपके पोलिंग (मतदान करने) की जगह पर अस्थायी मतपत्र के लिए अनुरोध करें और आपके अनुपस्थित मतपत्र (एब्सेन्टी बैलट) को डिलीवर न करें।

व्यक्तिगत तौर पर मतदान के लिए पँजीकरण

यह मतदान करने का पारंपरिक तरीका है जहाँ वोटर/ मतदाता निर्दिष्ट किए गए उनके पोलिंग (मतदान) की जगह पर पहुँचते हैं और चुनाव के दिन व्यक्तिगत तौर पर मतदान करते हैं।

- ★ चुनाव की तारीख पर आपका वोट डालने के लिए आपको आपकी विशिष्ट मतदान की जगह पर सुबह 7 बजे लेकर शाम 7 बजे के बीच किसी भी समय पहुँचना होगा।

यदि आप उन व्यक्तियों में से एक हैं जो काम के सिलसिले में काफी यात्रा करते हैं या आपको निश्चित पता नहीं है कि आप राज्य में किसी कारणवश मौजूद रहेंगे या नहीं, तो डाक मतपत्र द्वारा मतदान एक सुरक्षित विकल्प है जिससे आपको ज़्यादा समय मिलता है यदि चुनाव के दिन कोई ऐसी स्थिति आती है जो आपको व्यक्तिगत तौर पर जाकर मतदान करने से रोकती है।

कोविड-19 की वर्तमान दुनिया और आगे की स्थिति को देखते हुए *Chalo Vote सभी वोटर्स को डाक के ज़रिए वोट डालने की सिफारिश करता है क्योंकि यह वोट देने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

इसके साथ ही यह चुनाव से पहले आपके मतपत्र के साथ आपको समय देता है और इसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका वोट महत्वपूर्ण है।

चुनाव की तारीख के दिन मतदान को अंतिम विकल्प के तौर पर विचार करना चाहिए।

यदि आप चुनाव के दिन वोटिंग करने का विकल्प चुनते हैं और किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास मतदान कर पाने का कोई अन्य रास्ता नहीं होगा।

कदम 3
आपका वोट दें बनाएँ

एक बार जब आपको आपके विकल्पों के बारे में पता चल जाए और आप फैसला कर लेते हैं कि किस तरह मतदान करना है, तो आप जिन उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं आपको उन्हें ढूँढने और मतदान करने की ज़रुरत है।

उम्मीदवारों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे भागीदार बैलट रेडी की वेबसाइट ballotready.org पर जाकर आपके क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के बारे में मूलभूत जानकारी और मुद्दों के बारे में पढ़ सकते हैं।

आपका मतदान करने के लिए, या तो आपको डाक द्वारा आपका मतपत्र भेजने की ज़रुरत है, यदि आपने डाक द्वारा मतदान के लिए अनुरोध किया है, या फिर चुनाव के दिन आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच आपके मतदान की जगह व्यक्तिगत तौर

दोनों तरीकों के लिए कुछ नियम और टिप्स →

डाक द्वारा मतदान

यदि आपने पहले ही अनुरोध किया है तो आपको मतदान से 2 सप्ताह पहले, इससे ज़्यादा देर के बिना मतपत्र डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए और यदि आपने चुनाव से 2 सप्ताह पहले आपका फॉर्म जमा किया है तो आपका मतपत्र अनुरोध किए जाने के बाद 3 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

मतपत्र प्राप्त हो जाने के बाद आप इसे 3 आसान कदमों में चुनाव कार्यालय को वापस भेज सकते हैं।

कदम 1

आपके मतपत्र के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का पालन करते हुए आपके मतपत्र पर चिन्ह अंकित करें ।

कदम 2

आपका मतपत्र पूरा कर लेने के बाद गोपनीय लिफाफे में आपका मतपत्र रखें और फिर इस गोपनीय लिफाफे को आधिकारिक लिफाफे में डालकर इसे सील करें। सुनिश्चित करें की लिफाफे के बाहर आपने घोषणापत्र (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर किए हैं अन्यथा आपका मतपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

कदम 3

आपका मतपत्र आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में डाक से भेजें या डिलीवर करें ताकि यह चुनाव की तारीख तक शाम 7 बजे से पहले पहुँच सके। मतपत्र चुनाव तारीख तक चुनाव कार्यालय में पहुँचना चाहिए, न कि इसे उस दिन तक सिर्फ डाक से भेजा जाना।

निम्नलिखित वेबसाइट का इस्तेमाल कर आपके मतपत्र का पता लगाया जा सकता है जहाँ आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका मतपत्र पहुँच गया है और इसकी गिनती कर ली गई है।

https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/BallotTracking.aspx

व्यक्तिगत तौर पर मतदान

व्यक्तिगत तौर पर मतदान करने के लिए आपको सरकार / राज्य द्वारा जारी किए गए आईडी के साथ आपके मतदान की जगह पर उपस्थित होना होगा। आपको आपके विशिष्ट मतदान की जगह पर ही मतदान करना होगा जिसे आप नीचे दी गई लिंक में आपके वैयक्तीकृत चुनाव केंद्र पर ढूँढ सकते हैं।

आपके मतदान की जगह यहाँ पता कीजिए

कदम 1

जिस पर "वोट" लिखा है ऐसे संकेत का पालन कर वोटिंग क्षेत्र तक जाएँ और टेबल पर बैठे मतदान कर्मचारी की मदद से प्रवेश करें।

कदम 2

आपका व्यक्तिगत मतपत्र एक विशिष्ट मशीन में अपलोड किया जाएगा जिसकी ओर मतदान कर्मचारी आपको निर्देशित करेगा।

कदम 3

आपको निर्देशित की गई मशीन तक पहुँचने के बाद, स्क्रीन पर दी गई सूचनाओं का पालन करें और प्रत्येक चुनाव के लिए आपके उम्मीदवारों का चयन करें और प्रत्येक सवाल का जवाब दें।

कदम 4

मतपत्र पूरा करें और आपने आधिकारिक रुप से मतदान कर लिया है!

पेनसिल्वेनिया में वोटिंग मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए बार बार पूछे जाने वाले सवाल देखें। यदि आप चुनाव के दिन वोट डालना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि लंबी कतारों से बचने के लिए सुबह 10 बजे या दोपहर 2 बजे के आसपास जाएँ।

बार बार पूछे जाने वाले सवाल

वोटर रजिस्ट्रेशन / मतदाता पँजीकरण

क्या मुझे फोन नंबर, ई-मेल, पार्टी सहित वैकल्पिक जानकारी भरनी चाहिए?

★ आप जितनी जानकारी भरेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास सूचना होगी। आपके फोन नंबर और ई-मेल का इस्तेमाल आपके इलाके में होनेवाले आगामी चुनावों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा।

★ एक प्रायमरी (प्राथमिक) में किसी पार्टी को वोट देने के लिए आपको एक पार्टी निर्धारित करनी पड़ती है।

एक चुनाव में वोट करने के लिए मुझे कब तक पँजीकरण करा लेने की ज़रुरत है?

★ आपको चुनाव से कम से कम 30 दिन पहले पँजीकरण करा लेना आवश्यक है

हो सकता है मैंने पहले कभी वोट करने के लिए पँजीकरण कराया हो , लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं वर्तमान में पँजीकृत हूँ या नहीं या मेरा पता अपडेट हुआ है या नहीं।

★ आपके पँजीकरण की स्थिति के बारे में आप निम्नलिखित वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं: https://www.pavoterservices.pa.gov/pages/voterregistrationstatus.aspx

★ आपका नाम या आपके ड्रायवर लायसेंस क्रमांक या पेनडॉट आईडी का इस्तेमाल कर आप पँजीकरण के बारे में जाँच कर सकते हैं

★ नाम के साथ आपको देश, ज़िप कोड, नाम और जन्म-तारीख की ज़रुरत होगी

★ ड्रायवर लायसेंस या पेनडॉट आईडी के लिए आपके लायसेंस या पेनडॉट आईडी और आपकी जन्म तारीख की ज़रुरत होगी

मैंने अपने पँजीकरण स्थिति की जाँच कर ली है और मैं वोटिंग करने के लिए पँजीकृत हूँ लेकिन पंजीकृत पता मेरा वर्तमान पता नहीं है, मैं किस प्रकार मेरा पता अपडेट कर सकता हूँ?

★ आप उसी वोटर आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल कर आपका पता अपडेट कर सकते हैं जिसे आप एक नए वोटर के तौर पर पंजीकृत करने के लिए करते हैं और सवाल नंबर 3 के कारण के लिए “चेंज ऑफ एड्रेस / पते (https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx)

बार बार पूछे जाने वाले सवाल

डाक द्वारा मतदान

डाक से मतदान करने के लिए मुझे आवेदन करना हो तो अंतिम तारीख कब है?

★ डाक से मतदान के लिए आपका आवेदन आपके काउंटी कार्यालय में चुनाव तारीख से पहले मंगलवार तक (7 दिन पहले) पहुँच जाना चाहिए।

यदि मैं अनुपस्थिति मतदान (एब्सेन्टी बैलट) के लिए आवेदन करता हूँ, लेकिन बाद में मेरा विचार बदलता हूँ तो क्या मैं फिर भी व्यक्तिगत तौर पर मतदान कर सकता हूँ?

★ हाँ! यदि आपको डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है या जब आप मतदान की जगह पहुँचते हैं और यह आपके पास नहीं है तो आप अस्थायी मतपत्र के लिए पूछ सकते हैं, जो सभी मतों की गनती के बाद गिना जाएगा और वे इसकी पुष्टि करेंगे की आपने डाक द्वारा मतदान नहीं किया है।

★ यदि आपके पास खाली अनुपस्थिति मतपत्र (एब्सेन्टी बैलट) है तो आप इसे मतदान की जगह लेकर आ सकते हैं और वे मतपत्र को रद्द करने के बाद आपको सामान्य रुप से मतदान करने की अनुमति देंगे।

यदि मैं चुनाव के दिन मेरा मतपत्र डाक से भेजता हूँ, तो क्या यह फिर भी गिना जाएगा?

★ नहीं। आपका मतपत्र चुनाव के दिन आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में रात 8 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए। यदि चुनाव तरीख से पहले गुरुवार तक आप इसे डाक से नहीं भेज पाते हैं तो हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप इसे व्यक्तिगत रुप से काउन्टी चुनाव कार्यालय में देने जाएँ या ड्रॉपबॉक्स में डालें यदि आपके काउन्टी में यह उपलब्ध हो।यदि आप चुनाव से कुछ दिन पहले इसे डाक से भेजते हैं, तो सुनिश्चित करें की आप प्रमाणित डाक का इस्तेमाल कर इसकी स्थिति के बारे में पता लगाएँ।

एब्सेन्टी बैलट (अनुपस्थिति मतपत्र) और मेल इन बैलट (डाक द्वारा मतदान) में क्या अंतर है?

★ कार्यात्मक रुप से दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन पेनसल्विेनिया में मेल इन बैलट (डाक द्वारा मतदान) के लिए एक नाम है जो मतदान की अन्य पद्धति है और एब्सेन्टी बैलट (अनुपस्थिति मतपत्र) जिसे उन लोगों के लिए आरक्षित किया जाता है जो चुनाव के दौरान राज्य या देश के बाहर होंगे।

क्या मुझे प्रत्येक चुनाव में मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा?

- ★ पूरी तरह नहीं। आप पूरे चुनावी साल के लिए मतपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन भर सकते हैं लेकिन आपको इस तरह मतपत्र प्राप्त होते रहें यह सुनिश्चित करने के लिए हर साल एक नया आवेदन भर कर देना होगा।

- ★ डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन भरते समय या मतदान के लिए पँजीकरण के समय आपको पूछा जाएगा कि क्या आप साल के शेष समय के लिए मतपत्र प्राप्त करना चाहते हैं या आप सालभर मतपत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साल की शुरुआत में एक आवेदन प्राप्त करना चाहते हैं। इस विकल्प की जाँच करें और आप हर साल फैसला कर सकते हैं कि क्या आप साल के शेष समय के लिए डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त करना चाहते हैं।

मैं यह किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैंने मतपत्र उचित तरीके से भरा है?

- ★ यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमारी हॉटलाइन या आपके काउन्टी चुनाव कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक चुनाव के लिए आपकी पसंद चुनने के लिए केवल एक गोला भरें और इसके बाद मुख्य लिफाफे में रखने और सील करने से पहले मतपत्र को एक उचित गोपनीय लिफाफे में रखें । आपको मुख्य लिफाफे पर हस्ताक्षर करना होगा यह प्रमाणित करने के लिए कि आप ही वोटिंग कर रहे हैं और आपके वोट की गिनती की जाए।

व्यक्तिगत तौर पर मतदान

क्या पेनसिल्वेनिया में पूर्व मतदान की सुविधा उपलब्ध है?

- ★ नहीं। पेनसिल्वेनिया में पूर्व मतदान की सुविधा नहीं दी जाती, इसलिए यदि आप व्यक्तिगत रुप से वोट करना चाहते हैं तो आपको चुनाव के दिन आपके मतदान की जगह पर जाकर वोट डालना होगा।

- ★ यदि चुनाव के दिन आप आपके काम की स्थिति या उपलब्धता को लेकर निश्चित नहीं हैं तो हम बहुत ज़ोर देकर आपको सलाह देते हैं कि आप डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन करें जिससे आप सुरक्षित रुप से और समय से आपका मतदान सुनिश्चित कर सकेंगे।

मेरे मतदान की जगह पर मैं किस तरह वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर मतदान कर सकता हूँ?

- ★ विभिन्न देशों में व्यक्तिगत रुप से आपके वोट किए जाने के लिए अलग अलग मशीनें और कदम होते हैं, लेकिन आप हमेशा मतदान कर्मचारी से सहायता के लिए पूछ सकते हैं या आपकी सहायता के लिए किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बुला सकते हैं।

- ★ इसके साथ ही आप इस लिंक पर (https://www.votespa.com/Voting-in-PA/Pages/Voting-System-Demos.aspx) किस प्रकार काउन्टीज़ की वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में एक सूचनात्मक वीडियो देख सकते हैं या हर एक कदम की जानकारी वाली गाइड देख सकते हैं। केवल आपके काउन्टी पर क्लिक करें और इसके बाद ‘लर्न मोर’ यानि ज़्यादा जानें इस बटन पर क्लिक करें। सूचनात्मक वीडियो सेक्शन में स्क्रोल डाउन करें।

सहायक लिंक्स

Chalo Vote! Home Page:
https://chalo.vote

PA Elections Home Page:
https://www.votespa.com/Pages/default.aspx

PA Voter Eligibility:
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Pages/Voter-Registration-Requirements.aspx

PA Voter Registration Application:
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx

PA Voter Registration Status Check:
https://www.pavoterservices.pa.gov/pages/voterregistrationstatus.aspx

PA Vote By Mail Details:
https://www.votespa.com/Voting-in-PA/Pages/Mail-and-Absentee-Ballot.aspx

PA Vote By Mail Tracker:
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/BallotTracking.aspx

ज़्यादा जानकारी
CHALO.VOTE